



कार्यालय कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष 07868-241222 (का.) 222288 (नि) फैक्स 241801 (का.) 222960 (नि.)

: भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन :

क्रमांक / 2791 / कले./ वि.लि.-एक/स्था./सीधी भर्ती/2023 कांकेर, दिनांक 14 /06/2023

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रं. एफ-13-1/2023 आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-04/2023/सात-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09.05.2023 के निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2606/कले./ वि.लि.-एक/स्था./सीधी भर्ती/2023 कांकेर दिनांक 01/06/2023 द्वारा जारी विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01/06/2023 से दिनांक 26/06/2023 तक पंजीकृत डॉक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 सायं 05:30 बजे तक निर्धारित किये जाने के साथ "पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन" में निम्नानुसार "आंशिक संशोधन" करते हुए राजस्व विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. (तृतीय श्रेणी) पद-स्टेनोग्राफर-3 (हिन्दी), कुल रिक्त पद-01

वेतनमान 5200-20200+2800 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-7 (28700-91300) (राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग	
मुक्त	म.	शू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	शू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	शू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	शू.पु.से.	दिव्या	योग		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (उत्तीर्ण प्रमाण पत्र)-

(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए-

हिन्दी शीघ्रलेखक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

टीप :- उपरोक्त अर्हता में कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं.एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 द्वारा नियत संस्था मान्य होगी।

2. (तृतीय श्रेणी) पद—स्टेनोटाइपिस्ट, कुल रिक्त पद—9

वेतनमान 5200—20200+1900 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-4 (19500—62000)
(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	
5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	9

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

- हिन्दी शीघ्रलेखक में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी),
- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

टीप :- उपरोक्त अर्हता में कम्प्युटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं.एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 द्वारा नियत संस्था मान्य होगी।

3. (तृतीय श्रेणी) सहायक ग्रेड-3, कुल रिक्त पद-16

वेतनमान 5200—20200+1900 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-4 (19500—62000)
(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.सै.	दिव्या	योग	
7	2	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	1	0	0	5	16

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।

तथा

- कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेषन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

टीप :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 के अनुसार सहायक वर्ग-03 के पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्युटर संबंधी अर्हता हेतु छ.ग.शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्युटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :-

- मान्यता प्राप्त आई.टी.आई.से कम्प्युटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग अस्टिंट व्यवसाय में 01 वर्षीय सर्टिफिकेट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्युटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)
- वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्युटर साइंस इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्युटर एप्लीकेशन में 01 वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
- DOEACC सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न प्रदत्त डिप्लोमा।

4. (तृतीय श्रेणी) पद-वाहन चालक, कुल रिक्त पद-06

वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000)
(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित				कुल योग
मुक्त (पुरुष)	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त (पुरुष)	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त (पुरुष)	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त (पुरुष)	मू.पु.से.	दिव्या	योग	
3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	6

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी कक्षा उत्तीर्ण।

2. हल्के चार पहिया वाहन चलाने का जीवित/स्थायी वैद्य ड्रायव्हिंग लायसेंस (फोर व्हीलर)

5. (चतुर्थ श्रेणी) पद-भृत्य, कुल रिक्त (राजस्व विभाग) पद-11

वेतनमान 4750-7440+1300 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400)
(राजस्व विभाग के लिये)

विभाग का नाम	अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	
राजस्व विभाग	4	1	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	0	0	4	11

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण।

6. (चतुर्थ श्रेणी) पद-चौकीदार, कुल रिक्त पद-10

वेतनमान 4750-7440+1300 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400)
(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	
4	1	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	10

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण।

7. (चतुर्थ श्रेणी) पद-प्रोसेस सर्वेयर, कुल रिक्त पद-03

वेतनमान 4750-7440+1300 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400)
(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण।

8. (चतुर्थ श्रेणी) पद-फर्राश, कुल रिक्त पद-02

वेतनमान 4750-7440+1300 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400)
(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू.पु.से.	दिव्या	योग	
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण।

9. (चतुर्थ श्रेणी) पद-अर्दली, कुल रिक्त पद-03

वेतनमान 4750-7440+1300 ग्रेड, एवं पुनरीक्षित सातवां वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400)

(राजस्व विभाग के लिये)

अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित					कुल योग
मुक्त	म.	मू. पू. से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू. पू. से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू. पू. से.	दिव्या	योग	मुक्त	म.	मू. पू. से.	दिव्या	योग	
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- 1.मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण।

टीप :-

1. सभी प्रवर्ग में रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20% तक पदों की पूर्ति विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आरक्षित है। प्रवर्ग में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का आवेदन नहीं मिलने पर उसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों से चयन किया जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।
3. महिला या भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों में से चयन किया जायेगा।
4. उपरोक्त अर्हता में कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं.एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 द्वारा नियत संस्था मान्य होगी।
5. छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रं./एफ 9-1/2008/1-3/नया रायपुर दिनांक 01 फरवरी 2013 एवं छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रं. एफ-2-19/2013/सात-2 रायपुर दिनांक 27 जून 2013 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता संबंधी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन हेतु दिये गये निर्देशानुसार समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय संदर्भित भर्ती में पालनीय होंगे। उपरोक्त पद के चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्त पूरी करनी होगी अर्थात:-
6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पदों के आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि, जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट <https://kanker.gov.in/> पर देखी जा सकती है।

निर्धारित आयु सीमा :- सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रं./एफ 3-2/2015/1-3/ दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर की जावेगी। उच्चतर आयु सीमा में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। आयु के समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र, कक्षा 5वीं, 8वीं एवं 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। कौशल परीक्षा के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं एक प्रति स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

- (1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं के नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी एवं सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रं. एफ 3-1/2016 नया रायपुर दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 की छूट होगी।
- (2) यदि अभ्यर्थी छ.ग.शासन द्वारा अधिसूचित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (3) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (4) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (5) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (6) राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद, राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी को जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो। (छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किये जाने वाले आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. 650/209/2022/एम-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।
- (9) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो नीचे विनिर्दिष्ट गई सीमा तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी:-
 - (i) ऐसी अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो 43 वर्ष से अधिक का न हो।
 - (ii) ऐसी अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 43 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने व कर्मचारियों कार्यभारिता कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
 - (iii) ऐसी अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, शर्तें इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छंटनी" किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया।

- (IV) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

1. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिक आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,
 2. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें :-
(क) अल्पकालिन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) नामांकन के शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है।
 3. मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।
 4. उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)
 5. अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने से पश्चात सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी।
 6. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।
 7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
 8. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (V) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।
- (VI) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशनड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- टीप :-** (1) उपरोक्त खण्ड (iv) के उपखण्ड 1 एवं 2 में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (VII) आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (VIII) विधवा परित्याक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- (IX) छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-3-2/2002/1-3/दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष छूट दी जावेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

- (ख) छ.ग.शासन विभाग के पत्र क्र. एफ-3/2000/1/3/दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष होगी परंतु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है। वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बार भी शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ड) सभी प्रकार की आयु में छूटों में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों को आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट ही मिलेगी। उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी।

(2) पात्रता/आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देश/जानकारी :-

1. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदन का नाम व पता पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/- रु. का डाक टिकिट लगा 01 खाली लिफाफा 9'X4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
2. आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
3. आवेदक को छ.ग. राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
4. आयु सीमा छूट के संबंध में प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक होगा।
5. केवल ऐसे निःशक्त आवेदक सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे। जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। निःशक्त जन/दिव्यांग हेतु आरक्षित पद (क) अंध और निम्न दृष्टि, (ख) बधिर और श्रवणशक्ति में हास, (ग) चलन निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमास्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीडित और पेशीय दुष्पोषण (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता एवं (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु निशक्तता की श्रेणी के हैं। अतः इसी श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार आवेदन करें। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को आवेदन के साथ सेना द्वारा पदस्थ डिस्चार्ज बुक की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत हैं उन्हें नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाये।
9. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 01/06/2023 से दिनांक 30.06.2023 को सायं 05:30 बजे तक "कार्यालय कलेक्टर (वित्त स्थापना), कक्ष क्रमांक-15 कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) पिन कोड-494334" के पते पर केवल रजिस्टर डांक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार/मान्य नहीं किये जायेंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र आमाम्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
12. विज्ञापित जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति के प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
14. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
 प्रथम वर्ष :- पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
 द्वितीय वर्ष :- पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष :- पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परिवीक्षावधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत कर्मचारियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जावेगा।
15. विज्ञापन दिनांक से आगामी एक वर्ष तक किन्ही भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी।
16. समस्त पद पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/नियमों के अनुसार वर्टिकल व होरीजोण्टल आधार पर पदों का आरक्षण रहेगा।
17. यह नियुक्तियां सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें), नियम 1961 से शासित होगी।
18. आवेदनकर्ता विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट <https://kanker.gov.in/> पर देख सकते हैं।
19. विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी तथा उसे जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट <https://kanker.gov.in/> में भी अपलोड की जावेगी। यदि किन्ही कारणों से व्यक्तिगत सूचना प्राप्ति में विलंब होने/सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल/वेबसाइट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचित होना माना जावेगा।
20. छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका 6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने से सहमती एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।
21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक/प्रतिशत के बजाय CGPA (GRADE) प्रदान किया गया है, उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्धारित नियमानुसार गणना की जावेगी।
23. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र आमाम्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

(3) नियुक्ति के लिये अपात्रता :-

छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-

01. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
02. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। किन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिनमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।
03. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। उसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छुट दे सकता है।
04. जो शाररिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाये जाने पर।
05. जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
06. जो किसी अपराधिक प्रकरण में सजायापता हो।
07. जिन आवेदकों को छ.ग.शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं या 8वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड निर्धारित है। उन आवेदकों को अपना ग्रेड आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। जिस वर्ग में ग्रेड अंकित है शाला से सत्यापित अंक सूची में प्राप्तांक की सत्यापित प्रति शाला से प्राप्त कर संलग्न करें। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जावेगी :-

क.	ग्रेड	अधिकतम निर्धारित प्रतिशत
1	A +	91-100 प्रतिशत
2	A	81-90 प्रतिशत
3	B	71-80 प्रतिशत
4	C	51-70 प्रतिशत

(4) चयन की प्रक्रिया :-

01. स्टेनोग्राफर-03 हिन्दी :- चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी। स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात आर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 01 अनुपात 05 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:-

A	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
B	हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में एवं डाटा एन्ट्री गति 10000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में प्रायोगिक/कौशल परीक्षा	40 अंक
कुल निर्धारित अंक		100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50 प्रतिशत अंक अर्थात् कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं।

02. **स्टेनों टायपिस्ट :-** चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्टेनों टायपिस्ट के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी। टायपिस्ट के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात आर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 01 अनुपात 05 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:-

A	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
B	हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में एवं डाटा एन्ट्री गति 5000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में प्रायोगिक/कौशल परीक्षा	40 अंक
कुल निर्धारित अंक		100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50 प्रतिशत अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं।

03. **सहायक वर्ग-03 :-** चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सहायक वर्ग-03 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी। सहायक वर्ग-03 के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात आर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 01 अनुपात 05 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:-

A	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
B	हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में एवं डाटा एन्ट्री गति 5000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में प्रायोगिक/कौशल परीक्षा	40 अंक
कुल निर्धारित अंक		100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50 प्रतिशत अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं।

04. **वाहन चालक :-** चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जावेगी। वाहन चालक के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात आर्हताधारी पात्र आवेदकों को वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तथा इसमें प्राप्त अंकों के मेरिट आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा। इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित किये गये हैं :- कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 01 अनुपात 05 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:-

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
B	वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु (चयन समिति द्वारा वाहन चलवाकर परीक्षा ली जावेगी।	40 अंक
कुल निर्धारित अंक		100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। कौशल/दक्षता परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50 प्रतिशत अंक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं।

05. भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वेय, फर्मास, अर्दली :- नियुक्ति प्राधिकारी गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वेय, फर्मास, अर्दली के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा पाचवी उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

06. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें/निर्देश/जानकारी :-

01. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
02. चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
03. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
04. विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार "कलेक्टर" जिला उत्तर बस्तर कांकेर का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
05. विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम निर्णय आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगा।
06. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्र/वेबसाइट <https://kanker.gov.in/> में अपलोड होगी। (कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्रमांक/ /कले./वि.लि.-एक/स्था./सीधी भर्ती/2023 कांकेर, दिनांक /06/2023
प्रतिलिपि :-

01. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. संचालक, जनसंपर्क विभाग छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया 3 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु। प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
04. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग कांकेर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ। उपरोक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाइट <https://kanker.gov.in/> पर (Upload) इंद्राज करने का कष्ट करें।
06. जिला रोजगार अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
07. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उ.ब.कांकेर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
08. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.)जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
09. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
10. जिला कार्यालय कांकेर के सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ।

अपर कलेक्टर

उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

1.शीघ्रलेखक, 2. स्टेनो टायपिस्ट, 3.सहायक ग्रेड-(03), 4. वाहन चालक, 5.भृत्य, 6.आकस्मिकता निधि भृत्य, 7.चौकीदार, 8. प्रोसेस सर्वर, 9. फर्शाश ,10.अर्दली, पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

आवेदन प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

अभ्यर्थी का
स्व-प्रमाणित फोटो
चिपकाए

आवेदित पद का नाम विभाग का नाम.....

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में).....

02. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में).....

लिंग (महिला/पुरुष)

03. पिता/पति का नाम.....

04. जन्मतिथि (अ) अंकों में.....

(ब) शब्दों में.....

(स) दिनांक 01.01.2023 को आयु वर्ष.....माह.....दिन.....

05. वर्ग (सामान्य/अजा/अजजा/अ.पि.व.).....

06. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में).....

07. स्थायी पता (हिन्दी में).....

08. मोबाईल नम्बर.....

09. रोजगार कार्यालय का नाम एव जीवित पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक '.....

10. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

11. वैवाहिक स्थिति

क. विवाहित/अविवाहित.....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे.....

विवाह का दिनांक.....

ग. परिवार के संतान का विवरण :-

क्रमांक	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म
दिनांक			
1.			
2.			
3.			

12. क्या आप निःशक्ता है (हां/नहीं).....

यदि हां तो (1) निःशक्ता का प्रकार.....(2) निःशक्ता का प्रतिशत.....

(3) प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी या जिला मेडिकल बोर्ड का नाम.....

(4) जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक.....

13. क्या भूतपूर्व सैनिक है (हां/नहीं).....

यदि हां तो (1) भारतीय सेना का नाम जिसमें आपने कार्य किया है.....

(2) कार्यवधि.....से.....तक (3) पद का नाम

.....जिसमें कार्य किया है.....

14. क्या आपके विरुद्ध किसी पुलिस थाना या न्यायालय में प्रकरण दर्ज है (हां/नहीं).....यदि हां तो प्रकरण का

सम्पूर्ण विवरण

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

01.....

02.....

03.....

04.....

05.....

06.....

07.....

08.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है, तथा किसी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै.....आत्मज/पति श्री.....द्वारा
घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पत्र में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं
पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी
निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा सत्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या
नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्त निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी
दावे समाप्त हो जायेगा।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

मोबाईल नं.....